संख्या- 279 /2025 / 2373 /चार-2025-1735135

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभागः लखनऊः दिनांक 08 अगस्त, 2025

विषयः- काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के समापन समारोह, विभाजन विभीषिका एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनपदों में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 1376/सं0नि0-15(40)/2025-26 दिनांक 07 अगस्त, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के समापन समारोह, विभाजन विभीषिका एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनपदों में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु प्रदेश के बड़े जनपदों को रू0 10.00 लाख प्रति जनपद तथा छोटे जनपदों को रू0 5.00 लाख प्रति जनपद की दर से धनराशि उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्नवत् प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है:-

जनपद	धनराशि
प्रदेश के 15 जनपद- लखनऊ (काकोरी), शाहजहाँपुर, बलिया, गोरखपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या, मैनपुरी, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, कानपुर नगर, झांसी, बरेली, सहारनपुर, गोण्डा । (प्रति जनपद रू0 10.00 लाख)	150.00 लाख
प्रदेश के अन्य 60 जनपद- लखीमपुर-खीरी, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, गौतमबुद्ध नगर, बागपत, हापुड़, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, अलीगढ़, हाथरस, इटावा, कासगंज, आगरा, मथुरा, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत, बदायूं, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, चित्रकूट, बाँदा, महोबा, हमीरपुर, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, ललितपुर, जालौन, आजमगढ़, मऊ, शामली, मुजफ्फरनगर। (प्रति जनपद रू0 5.00 लाख)	300.00 लाख
योग (रू0 चार करोड़ पचास लाख मात्र)	450.00 लाख

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के समापन समारोह, विभाजन विभीषिका एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनपदों में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं अन्य गतिविधियों हेतु **रू0 450.00 लाख (रू0 चार करोड़ पचास लाख मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(8) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(9) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि आहरित कर संबंधित जिले के जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद् को उपलब्ध कराई जाएगी।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-13-आजादी का अमृत काल महोत्सव-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या - 279 /2025 / 2373 (1) /चार-2025-1735135 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त जिलाधिकारी/ अध्यक्ष, जिला पर्यटन एवं संस्कृति पिरषद्, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in